

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 27th June, 2007

S.O. 53 /H.A.6/2003/S 59/2007. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 4 /H.A.6/2003/S.59/2007, dated the 5th June, 2007, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule C appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), in Schedule C, after serial number 43A and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely :-

1	2
"43B	Inverters, but not including the batteries sold with the inverters or otherwise;".

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2007

संख्या का0आ0 53/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2007.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 4/ह0अ06/2003/धा059/2007, दिनांक 5 जून, 2007, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ग में,, क्रम संख्या 43ख तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :-

1	2
"43ख	इन्वर्टरस, किन्तु इसमें इन्वर्टरस के साथ या अन्यथा बेची जाने वाली बैटरियां सम्मिलित नहीं है;"।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।